आवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्र संख्या– REIC / आई0एम0सी0 / मु0 / 2024–25 / 152 / वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,
(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)
लखनऊ::दिनांक:: 13 सितम्बर :: 2024

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1 / ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–235 दिनांक 07.09.2021 एवं 146 दिनांक 06.09.2022 तथा पत्र संख्या–67 दिनांक 06.07.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 / ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को सम्बोधित हैं। उक्त पत्रों द्वारा आयुक्त राज्य कर के निर्देश के क्रम में प्रत्येक जोन से करापवंचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामला अग्रेतर जांच हेतु अन्य Law Enforcement Agencies (LEAs) को REIC के माध्यम से सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः अपने जोन से सम्बन्धित जिन महत्वपूर्ण मामलों को REIC से साझा किया जाना हो, ऐसे मामलों को REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC Form-1 के Part-A. Cases sponsored by the member agencies for information in the REIC & Part-B. Cases having interdepartmental ramifications sponsored by the member agencies for further action in the REIC में भरकर सम्बन्धित REIC के नामित अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित REIC (मेरठ, इलाहाबाद जोन) को प्रेषित करने के साथ–साथ प्रतिलिपि मुख्यालय को एवं REIC लखनऊ जोन से सम्बन्धित मामले सीधे मुख्यालय के आई0एम0सी0 अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि CEIB, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र से REIC में साझा किये जाने हेतु प्रकरणों में करापवंचन की सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार इस विभाग के उन्हीं प्रकरणों को REIC से साझा किया जाना अपेक्षित है, जिनमें अपवंचित कर की धनराशि रु0 01 करोड़ (नॉन मेट्रो स्टेशन) व रु0 03 करोड़ (मेट्रो स्टेशन–नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद) है, जिसके सम्बन्ध में REIC लखनऊ परिक्षेत्र के नोडल अधिकारी द्वारा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को अपने–अपने जोन से सम्बन्धित प्रकरणवार सूचना REIC को सन्दर्भित करने हेतु **पत्र संख्या–3125 दिनांक 08.03.2022** जारी किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC Form-1 इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 दिनांक उक्त ::।

प्रतिलिपि– संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (आई0एम0सी0)
राज्य कर, मुख्यालय।

FORMATS FOR REPORTING BY REIC MEMBERS

REIC FORM-I

(To be submitted by the members of REICs to the Convener before each REIC meeting)

REPORTING AGENCY:

PERIOD TO WHICH INFORMATION PERTAINS:

A. Cases sponsored by the member agencies for information in the REIC

1.	Date of detection/Search/Seizure etc
2.	Name of the Company/Individual/Unit/Assessee
3.	Name of the Director/Owner/key persons
4.	Address(es)
5.	Registration No./PAN/TAN/DIN/ROC etc:
6.	Duty/tax/Actual amount involved and the FY *
7.	Information in brief (including modus operandi/type of offence detected, etc)
8.	Contact information of the designated officer who is to be contacted for further details/information
9.	Remarks

B. Cases having interdepartmental ramifications sponsored by the member agencies for further action in the REIC:

1.	Date of detection/Search/Seizure etc
2.	Name of the Company/Individual/Unit/Assessee
3.	Name of the Director/Owner/key managerial persons
4.	Address(es)
5.	Registration No./PAN/TAN/DIN etc:
6.	Summary of case detected (including modus operandi/type of offence suspected/detected etc)
7.	Duty/tax/amount involved and the FY *
8.	Whether information was made available earlier (before sponsoring in the REIC) to other agencies. If so, names of agencies, date of sharing.
9.	Other departments/agencies who are to consider the information for further action
10.	Contact information of the designated officer who is to be contacted for further details/information
11.	Remarks

*FY in all Forms refers to April-March of the year when offence is detected

आवश्यक

प्रेषक,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,वाणिज्य कर
वाराणसी जोन–द्वितीय वाराणसी/
नोडल अधिकारी,
REIC, लखनऊ परिक्षेत्र ।

सेवा में,

1–एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
गौतमबुद्ध नगर जोन, गौतमबुद्धनगर।
2–समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सी–4/एडी0कमि0ग्रेड–1वा0क0वा0जोन–द्वि0वारा0/दिनांक 08/03/ 2022।

विषय :– **दिनांक 18.02.2022 से दिनांक 25.02.2022 के मध्य राजस्व अभिवृद्धि हेतु आयोजित ब्रेन स्टार्मिंग सेशन के मुख्यालय पत्र संख्या–एस0एस0–निर्देश/2021–22/ 1005/ वाणिज्य कर/लखनऊ, दिनांक 07.03.2022 के बिन्दु संख्या–27 व 36 में दिये गये निर्देश के क्रम में वांछित सूचना मुख्यालय के वि0अनु0शा0 अनुभाग को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या–एस0एस0–निर्देश/2021–22/ 1005/वाणिज्य कर/लखनऊ, दिनांक 07.03.2022 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2022 से दिनांक 25.02.2022 के मध्य राजस्व अभिवृद्धि हेतु आयोजित ब्रेन स्टार्मिंग सेशन का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–27 व 36 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में REIC को संदर्भित किये जाने हेतु REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC-1 में प्रकरणवार सूचना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि अपने–अपने जोन से सम्बन्धित प्रकरणवार सूचना REIC को संदर्भित करने हेतु REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC-1 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि CEIB, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–CEIB/CS-1(31)/REIC-MF/2021-22 दिनांक 07.02.2022(छाया प्रति संलग्न)से REIC में साझा किये जाने हेतु प्रकरणों में करापवंचन की सीमा निर्धारित की गयी है,जिसके अनुसार इस विभाग के उन्हीं प्रकरणों को REIC को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है, जिनमें अपवंचित कर की धनराशि 01 करोड़(नॉन मेट्रो स्टेशन) व 03 करोड़ (मेट्रो स्टेशन– नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद)हैं।

संलग्नक ::–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,वाणिज्य कर,
वाराणसी जोन–द्वितीय,वाराणसी।
(सदस्य नोडल आफिसर ग्रुप REIC,लखनऊ)

पृ0प0सं0 / /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि ::–ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/आई0एम0सी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

08/03/2022

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,वाणिज्य कर,
वाराणसी जोन–द्वितीय,वाराणसी।
(सदस्य नोडल आफिसर ग्रुप REIC,लखनऊ)

(श्याम सुन्दर तिवारी)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0एम0सी0)
वाणिज्य कर, लखनऊ।

J.C (SIB)
4009
4/03/22
3126(1)
01/04/2022
JC (IMC)
306
31.03.2022

CONFIDENTIAL

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Economic Intelligence Bureau
1st, 6th& 8th Floor, 'B' Wing Janpath Bhawan, New Delhi

F.No. CEIB/CS-1(31)/REIC-MF/2021-22 Dated - 07.02.2022

To
All REICs Convenors

Madam / Sir,

Sub: Threshold Limit for mandatory exchange of information by Designated Members within the REICs-reg.

Please refer to the Bureau's letter of even number dated 29.10.2021 on above subject seeking views of REICs regarding revision of threshold limits, presently specified in the table at page 47 of the REIC Manual, 2019, for mandatory exchange of information by Designated Members within the REICs.

2. Keeping in view the responses received from the REICs, the threshold limits stand revised with immediate effect as follows:

THRESHOLD LIMITS FOR MANDATORY EXCHANGE OF INFORMATION

SN	Agency	Category of Information	Non-Metro Station (Rs.)	Metro Station (Rs.)
1.	Customs/ DRI	Seizure of goods	1 Crore	1Crore
		Duty evasion	1Crore	2 Crore
2.	CBIC/DGGSTI	Taxevasion	1 Crore	3 Crore
3.	CBDT	Tax evasion on account of concealment of income	1 Crore	3 Crores
4.	ED	FEMA	1Crore	2 Crores
		PMLA	1 Crore	2 Crore
5.	SEBI	Penalty	5 Lakh	
6.	State Tax (SGST)	Duty evasion	1 Crore	3 Crore
7.	State EOW	Commercial frauds/ Bank Frauds, Real Estate Frauds and other economic offences attracting IPC and PC Act	25 Lakhs	50 Lakhs
		Ponzi scheme/ MLM scheme/ Collective Investment Scheme	All cases to be shared	
		Terror financing/ FICN	All cases to be shared	

In relation to the above, for distinction of metro and non-metro stations, Gazette Notification dated 01.8.2019 to implement the Finance Act of 2019 i.e. No. 23 of 2019 may be allowed, according to which the metro stations are **Bangalore, Chennai, Delhi NCR (Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Gurugram, Faridabad), Hyderabad, Kolkata and Mumbai (whole of Mumbai Metropolitan Region).**

4. This may be brought to the notice of Designated Members.

5. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

07/2/2022

(Rohit Singhal)
Additional Director, CEIB